

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 77/19 - 926

तारीख 27/05/2019

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 77/19 / 2018 पत्थरगढ़ी बाबत।

महेन्द्र कुमार मिश्रा (हलका) को कि बिजौलियाँ

प्रार्थी

बनाम

- 1- नंदा मिश्रा (मौजा) रानी, दौली बिजौलियाँ
- 2- लक्ष्मीलाल मिश्रा पत्नी रानी, दौली बिजौलियाँ
- 3- मोहनलाल मिश्रा पत्नी रानी, दौली बिजौलियाँ

विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम बिजौलियाँ पटवार हल्का बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 1563/2 पर अंकित आराजी संख्या 1563/2 रकबा 1 बीघा 5 अंश 1 पौंड बीघा भूमि की बशामलात-पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



Handwritten signature/initials.

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ